(8)

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 106/VIII-1/23–147(श्रम)/2001–राज्यपाल, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, तथा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1625/औ0वि0/2001–125–श्रम/2001 को अधिक्रमण करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन परिवादों और दावों की सुनवाई करने और उनका विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ–3 में उनके सामने उल्लिखित क्षेत्रों के लिए "प्राधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
3	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
4	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
5	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
6	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा।	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर
7	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
8	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
9	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 106/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.106/VIII-1/23-147-Labour/2001--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of Equal Remuneration Act, 1976 (Act No. 25 of 1976) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor is pleased to supersede the notification number: 1625/Industrial Development /2001-125-Labour/2001, and under clause (a) and clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, hereby approves the appointment of the Officers mentioned in column-2 of the schedule below as "Authorities", for the purpose of hearing and deciding the complaints and claims under the Act within the jurisdiction mentioned against them in column-3 of the Schedule below:-

Schedule

S. No.	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Labour Commissioner, Uttarakhand.	Whole state of Uttarakhand
2	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani.	District Nainital.
3	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Udhamsingh Nagar.	District Udham Singh Nagar.
4	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Dehradun.	District Dehradun and Uttarkashi.
5	Assistant Labour Commissioner posted in the office of Deputy Labour Commissioner, Haridwar.	District Haridwar.
6	Assistant Labour Commissioner, Almora.	District Almora and Bageshwar.
7	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh.	District Pithoragarh and Champawat.
8	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh.	District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
9	Assistant Labour Commissioner, Kotdwar.	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 10—06—2023, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 श्रम/286—28—07—2023—100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।